न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 78 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. घमण्डाराम पुत्र भीखाराम
2. राऊराम पुत्र भीखाराम
3. विरधाराम पुत्र भीखाराम
4. कलूदेवी पत्नी भीखाराम
5. रामाराम पुत्र गेनाराम
6. बाबूराम पुत्र गेनाराम
7. राणीदेवी पत्नी गेनाराम
8. हनुमानराम पुत्र नवलाराम
9. धन्नाराम पुत्र नवलाराम
10. गवरीदेवी पत्नी नवलाराम

जाति जाट निवासी भाटाला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.खेताराम पुत्र टीकूराम
2.भानाराम पुत्र कैसाराम
3.रामाराम पुत्र मोडाराम
4.इमरतीदेवी पत्नी मोडाराम
5.रामाराम पुत्र आदूराम
6.राजूराम पुत्र आदूराम
7.वालाराम पुत्र आदूराम
8.मूलाराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी भाटाला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
9.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा राड़ा
10.तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 09 / 2016 बअनवान खेताराम बनाम घमण्डाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017।

उपस्थित

1. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु भगवान चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 07.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम के तहत मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 46 रकबा 20.01 बीघा भूमि मौजा भाटाला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 49 रकबा 47.12 बीघा भूमि मौजा भाटाला प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांटगण की खातेदारी भूमि के दो टुकड़े किये गये। अपीलांटगण के खातेदारी के खेत में से नजरी नक्शे में अंकित बिंदु डी,एफ, जी को रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तो अपीलांटगण की खातेदारी भूमि दो टुकड़े होने से बच सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ (Rev.) 2021(2) Page 1449
RRD 2020 Page 18

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्त प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण के खातेदारी के खेत में से नजरी नक्शे में अंकित बिंदु डी,एफ, जी को रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तो अपीलांटगण की खातेदारी भूमि दो टुकड़े होने से बच सकती है। उपरोक्त अपीलांटगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को दिया जाता है तो मुझ रेस्पोडेंट/प्रार्थी को कोई आपति नहीं होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उससे अपीलांटगण की खातेदारी के दो टुकड़े किये गये जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत अपील में अपीलांटगण ने मौका फर्द के संलग्न आये नक्शे को नजरी नक्शे के रूप में पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी के खेत में से नजरी नक्शे में अंकित बिंदु डी,एफ, जी को रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तो अपीलांटगण की खातेदारी भूमि दो टुकड़े नहीं होगें। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के प्रस्ताव पर रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने वक्त बहस अनापति जाहिर की। उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 09/2016 बअनवान खेताराम बनाम घमण्डाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 को अपास्त किया जाता है। ग्राम भाटाला के खसरा संख्या 46 रकबा 20.01 बीघा भूमि से सड़क तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 49 रकबा 47.12 बीघा भूमि में से नजरी नक्शा में अंकित बिंदु संख्या डी,एफ से जी जो प्रस्तावित रास्ता है दरसाये अनुसार 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में तय क्षतिपूर्ति राशि का समायोजन करते हुए शेष रकबे की वर्तमान डीएलसी दर से दुगनी राशि प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि को राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

[illegible] द्वारा प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध है

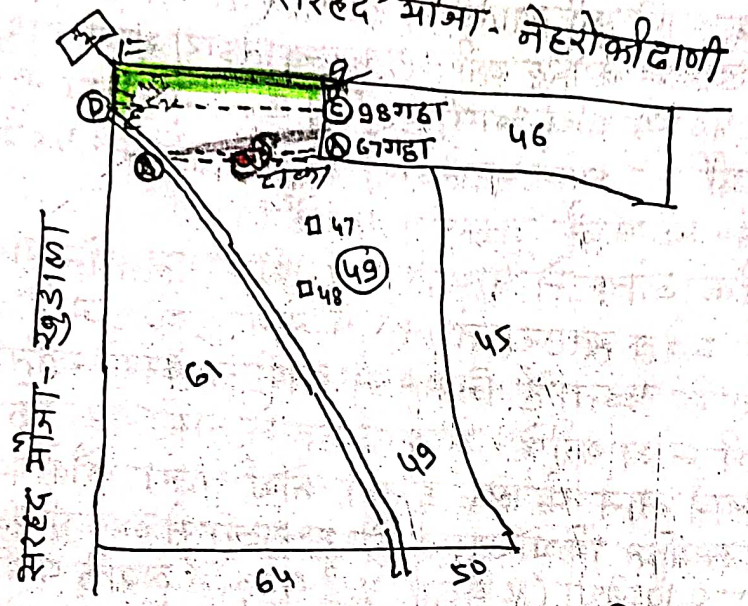

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

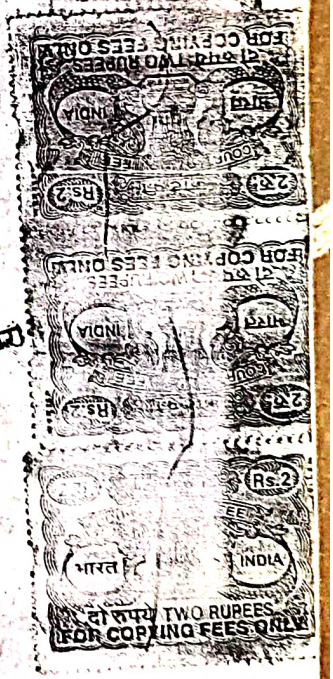

AT Sindhari

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

(दीपाराम)
नायब तहसीलदार
कार्य. उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

D.F.G. Sanctioned as proposed

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

प्रार्थना संख्या	154
प्रार्थी का नाम	श्री हनुमानराम
प्रार्थना पत्र दिनांक	25.7.17
प्रार्थना की संख्या	07
कोपिंग फीस राज.	14
नोटिस तारीख	
नकल देने की तारीख	25.7.17
नकलकर्ता के हस्ताक्षर	